मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-5

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 20 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 1, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सहित सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 1091) पर शासन की ओर से संतोष जनक उत्तर न आने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 52 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 57 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य ने सीधी जिले में सेवा निवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान न किये जाने,

(2) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने भोपाल जिले के नीलबड़ अंतर्गत ग्राम सिकन्दराबाद में विद्युत संकट होने,

(3) श्री नारायण त्रिपाठी,सदस्य ने मैहर जिला सतना अंतर्गत सरला नगर में भीषण पेयजल संकट होने,

(4) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के ग्राम रिछोरा में कई वर्षों से खराब ट्रांसफार्मर न बदला जाने,

(5) डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के ग्राम कुल्लू स्थित शासकीय तालाब पर अतिक्रमण, होने,

(6) डॉ. सुनीलम, सदस्य ने किसानों द्वारा बेजा कर्ज मुक्त अभियान की मांग पर भोपाल में धरना देने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वित्त विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं,

(1) क्रमांक 116-चार-ब-आनीविइ-2005, दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 ; तथा

(2) क्रमांक 37-एफ-15-6-05-चार-ब-आनीविइ, दिनांक 31 जनवरी, 2006.

पटल पर रखी।

4. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री आरिफ अकील, रामनिवास रावत, सदस्य ने बड़वानी एवं खरगोन जिले में जहरीली शराब पीने से आदिवासियों की मौत होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य ने भिण्ड जिले में परीक्षा केन्द्रों में व्यापक परिवर्तन किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पारस जैन, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री शिवप्रसाद राठौर, सदस्य की बैतूल नगर में सर्वसुविधायुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालय का भवन बनाये जाने,

(2) श्री ताराचन्द गोयल,सदस्य की उज्जैन जिले के ग्राम कायथा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(3) डॉ. आई. एम. पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के मऊगंज नगर में कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने,

(4) श्री रामदास उइके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम खैरवानी व चटुआ के मध्य जलाशय का निर्माण कराये जाने,

(5) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य की ग्वालियर जिले के -

(क) ग्राम करहिया से आरौन तक सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम मकोड़ा तिराहे से छीमक तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) ग्राम मकोड़ा से व्हाया आंतरी होकर छीमक तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,तथा

(घ) ग्राम मोहना से सनकुआ व सनकुआ से वनहेरी तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(6) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के -

(क) ग्राम मोघना से अदरू के पुरा तक सड़क बनाये जाने,तथा

(ख) ग्राम सिरोही की सड़क को नदी के कटाव से बचाये जाने,

(7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के -

(क) ओरछा-चकरपुर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) मड़िया-ककावनी मार्ग का पुनः डामरीकरण कराये जाने,तथा

(ग) ओरछा से ओरछा तिगेला तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सड़क बनाये जाने,

(8) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले के -

(क) बड़वारा नगर में महाविद्यालय खोले जाने,

(ख) ग्राम नन्हवारा स्थित माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ग) ग्राम गणेशपुर में 10 बिस्तरीय अस्पताल खोले जाने, एवं

(9) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम पचलासी में विद्युत खम्बे बदले जाने,

(ख) ग्राम बुरानाबाद में ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(ग) ग्राम गोठड़ा व जावरा के मध्य मलेनी नदी पर पुलिया कम स्टाप डेम बनाये जाने,

(घ) ग्राम बरखेड़ा (जावरा) में हाई स्कूल खोले जाने, तथा

(ङ) ग्राम बटलावदी में हाई स्कूल खोले जाने,

संबंधी याचिकायें पढ़ी हुई मानी गई।

6. वक्तव्य

श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने प्रदेश में एवियन फ्लू के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

7. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने अपना भाषण प्रारम्भ कर पूर्ण किया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य द्वारा प्रदेश में भूमिहीनों को भूमि नहीं तथा बेरोजगारों को रोजगार देने संबंधी घोषणा मा. मुख्यमंत्री द्वारा नहीं करने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

02.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 2, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.